

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीतारसीन अधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 68/2021
GCMS CASE NO- 2021/00068

दायरा दिनांक 20.10.2021

प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश पुत्र लिच्छमीराम जाति जाट साकिन गैरपुरा उर्फ शीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर (अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1950

(रेस्पोंडेंट)

उपस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. पैरोकार राज रेस्पोंडेंट संख्या 2

:: निर्णय ::

दिनांक:- 11.04.2023

यह अपील तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 06/2021 अनवान सरकार बनाम प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांत ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एसएलडी के गु.न. 79/385 के किला न. 16 ता 25 व पत्थर न. 79/386 के किला न. 2 व 9 के कुल 4.554 है० रकबा पर अपीलांत को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके पर खड़ी फसल को जप्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दे दिये व इसके पश्चात पत्रावली में राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 7107/2012 में जारी स्थगन की प्रति उपलब्ध रहते भी अपीलांत को बिना सुने ही दिनांक 08.10.2021 को अपीलांत को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पूर्ववर्ती वर्षों में काश्त की गई जिनसे का कुत्तानामा तय कर राजस्व रिकार्ड में मांग कायमी का नोटिस जारी कर दिया। उक्त आदेश अपीलांत के पीछे पारित किया गया है। अतः अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 28.01.2021 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पोंडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.01.2021 की निरन्तरता में दिनांक 08.10.2021 को जैर अपील आदेश पारित कर दिया व इस फैसले की जानकारी अपीलांत को प्रथम बार दिनांक 14.10.2021 को नोटिस प्राप्ति से हुई। तब नोटिस प्राप्त होते ही बिना किसी देरी किये अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील पेश कर दी गई। अपीलांत द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

पैरोकार राज द्वारा ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया गया तथा ना ही अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र पेश किया गया। दौरान बहस भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांत ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर रेस्पोंडेंट द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं की गई है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

श्री शिशपाल शर्मा
अधिवक्ता
श्रीगंगानगर



प्रकरण मे गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्त ने दौरान बहस अपील मीगों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त का रोही गैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के खसारा न. 259 व 200 के 24.00 बीघा रकबा पर पुराना कब्जा काशत चला आ रहा है। इस रकबा को नियमन हेतु ईगानप योजना आवंटन नियम 21 क हेतु पत्रावली भी आवंटन हेतु पेश की हुई है। जिसे पर आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने तहसीलदार से जांच मंगवा रखी है। इसी दौरान रोही गैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के रकबा से चक बन्दी कायम हो गई व चकबन्दी के दौरान अपीलान्त के कब्जा काशत के रकबा से चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/385 के किला न. 20 ता 24 का 1.215 है0 व पत्थर न. 78/386 के किला न. 1, 2, 9, 10 का 0.956 है0 रकबा व चक 15 एसएलडी के पत्थर न. 79/385 का किला न.16 ता 25 का 2.530 है0 व पत्थर न. 79/386 के किला न. 2 ता 9 का 2.024 है0 रकबा कायम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के पीठ के पीछे चक 15 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/385 व 79/386 के कि.नं. 2 व 9 के कुल 4.554 है0 रकबा पर अपीलान्त को अतिक्रमगी घोषित करते हुए नाजायज काशत की कार्यवाही अमल में लाकर दिनांक 28.01.2021 को अपीलान्त को तलबी का आदेश दे दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खडी फसल को जबा करने का आदेश दे दिया। इसी आदेश की निरन्तरता में दिनांक 08.10.2021 को अपीलान्त को बिना सुने ही दिनांक 08.10.2021 को अपीलान्त को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पूर्ववर्ती वर्षों में काशत की गई जिन्यों का कुत्तानामा तय कर राजस्व रिकार्ड में मांग कायमी का नोटिस जारी कर दिया। जबकि जैर प्रकरण रकबा के बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 7107/2012/एलआर/श्रीगंगानगर अनवान ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जैरकार है। उक्त निगरानी में जैर प्रकरण रकबा पर माननीय मण्डल का स्थगन प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना सुने बिना सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया है। अपीलान्त उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2021 व इस आदेश की निरन्तरता में जारी आदेश दिनांक 08.10.2021 निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्त ने राजकीय भूमि पर नाजायज काशत कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 7107/2012/एलआर/श्रीगंगानगर में जैर अपील भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावित है। माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2021 को प्रकरण दर्ज कर उसी दिन मौके पर खडी फसल जबा करने के आदेश गिरदावर हल्का को दे दिये। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलान्त को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 28.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलान्त दिनांक 28.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला फलेंक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
सूरतगढ़